पत्रांक–2ब० / जला०–01–117 / 2016 91 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक– 03/01/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना के तहत 6650 घरों में नल जल संयोजन हेतु ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

सप्तधारा राजगीर में जल प्रभाव में कमी होने के कारणों एवं उसके निदान के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 27.02.2017 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर शहर के लिए नये जल स्त्रोत का निर्माण कर नये राईजिंग पाईप लाईन बिछाने एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु ₹1066.56 लाख के समर्पित प्राक्कलन के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि राजगीर शहर में गृह जल संयोजन का कार्य भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए प्राक्कलन प्राप्त होने पर अलग से राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 359, दिनांक– 30.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 360, दिनांक– 30.03.2017 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प / मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 433, दिनांक– 05.12.2017 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) का तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन

उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन में 6650 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्राक्कलित राशि ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल 50 प्रतिशत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र आवंटित की जाएगी। साथ ही नगर पंचायत, राजगीर के पास उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध होने वाली 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद में कर्णांकित राशि का भी उपयोग इस योजना के लिए किया जाएगा। तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, राजगीर को इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये जाएगे।

4. तद्नुसार नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०– 90, दिनांक– 03/01/18 के आलोक में राज्य योजना से तत्काल 50 प्रतिशत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत, राजगीर	नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल का जल योजना के तहत 6650 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	1249.31238	1249.31238	624.65619	624.65619

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। **तदुपरांत वित्त विभाग के पत्रांक– 7691, दिनांक– 22.09.2017 के आलोक में चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. उक्त आवंटित राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215017890103** विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

7. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तो के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, राजगीर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

9. **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

16. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

29.12.17

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–117/2016 9 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 02/01/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

प्रथम
...
2/1/18

पत्रांक–2ब०/जला०–01–117/2016 90 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 03/01/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना के तहत 6650 घरों में नल जल संयोजन हेतु ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

सप्तधारा राजगीर में जल प्रभाव में कमी होने के कारणों एवं उसके निदान के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 27.02.2017 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर शहर के लिए नये जल स्त्रोत का निर्माण कर नये राईजिंग पाईप लाईन बिछाने एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु ₹1066.56 लाख के समर्पित प्राक्कलन के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि राजगीर शहर में गृह जल संयोजन का कार्य भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए प्राक्कलन प्राप्त होने पर अलग से राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 359, दिनांक– 30.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 360, दिनांक– 30.03.2017 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 433, दिनांक– 05.12.2017 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1249.31238

लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) का तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन में 6650 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्राक्कलित राशि ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल 50 प्रतिशत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र आवंटित की जाएगी। साथ ही नगर पंचायत, राजगीर के पास उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध होने वाली 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद में कर्णांकित राशि का भी उपयोग इस योजना के लिए किया जाएगा। तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, राजगीर को इस संबंध में आवश्यक निदेश दिये जाएगे।

4. तद्नुसार नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु ₹1249.31238 लाख (बारह करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार दो सौ अड़तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना से तत्काल 50 प्रतिशत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	**नगर निकाय का नाम**	**योजना का नाम**	**तकनीकी अनुमोदन की राशि**	**प्रशासनिक स्वीकृति की राशि**	**वर्तमान में स्वीकृत राशि**	**अवशेष राशि**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**नगर पंचायत, राजगीर**	नगर पंचायत, राजगीर में हर घर नल का जल योजना के तहत 6650 घरों में नल जल संयोजन कार्य।	1249.31238	1249.31238	624.65619	624.65619

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। **तदुपरांत वित्त विभाग के पत्रांक- 7691, दिनांक- 22.09.2017 के आलोक में चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹624.65619 लाख (छः करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215017890103** विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

7. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, राजगीर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

9. **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

15. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

16. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

17. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/जला०–01–117/2016 के पृष्ठ सं०–45/टि० पर दिनांक–27.12.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–45/टि० पर दिनांक–27.12.2017 को प्राप्त है।

18. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–117/2016 90 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–03/01/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

आन्न.